राष्ट्रीय प्रतीक


राष्ट्रीय ध्वज

- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरी केसिरया पट्टी है, मध्य में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है।
- ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं।



राष्ट्रीय ध्वज

- भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई,
 1947 को अपनाया।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 जो 26 जनवरी, 2002 से प्रभावी हुई, में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है।



अशोक चक्र

- भारत की ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है।
- परंतु इस बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गैर-सांविधिक अनुदेशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राजचिन्हों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है।

राजचिन्ह

- भारत का राजिचन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ
 की अनुकृति है।
- मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं।
- इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्ल्री में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं, जिनके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं।



सत्यमेव जयते

अशोक स्तम्भ

- चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काट कर बनाए गए इस स्तंभ पर 'धर्मचक्र' सुशोभित है।
- भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को अपनाए गए राजचिन्ह
 में केवल 3 सिंह दिखाई पडते हैं।
- पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं।
- फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है—'सत्य की ही विजय होती है।'
- भारत के राजचिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत नियंत्रित होता है।

राष्ट्रगान

- रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।
- यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं।
- 🗢 राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है।
- कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां (गाने का समय लगभग 20 सेकेंड) होती हैं।



राष्ट्रगीत

- बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, जिसे 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है।
- यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था।

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् सस्य श्यामलां मातरंम् शुभ्र ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम् फुल्ल कुसुमित दुमदलशोभिनीम्, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम् सुखदां वरदां मातरम् ॥

सप्त कोटि कन्ठ कलकल निनाद कराले द्विसप्त कोटि भुजैर्धत खरकरवाले के बोले मा तुमी अबले बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम् रिपुदलवारिणीम् मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि ह्नदि तुमि मर्म त्यं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदय तुमि मा भक्ति, तोमारे प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम् नमामि कमलां अमलां अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरम् ॥

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम् धरणीं भरणीं मातरम् ॥

राष्ट्रीय गीतः वंदे मातरम्

राष्ट्रीय पंचांग (केलेंडर)

- ग्रिगोरियन केलेंडर के साथ-साथ देशभर के लिए शक संवत् पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है।
- 22 मार्च, 1957 को इन्हें सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया:
- भारत का राजपत्र,
- ם आकाशवाणी के समाचार प्रसारण,
- 💷 भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केलेंडर
- भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित-पत्र।